

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

क्रमांक : एफ-4(5)(26)राजस्व/18/

दिनांक

2019

—:आदेश:—

अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, बारां द्वारा अहमदी लघु सिंचाई परियोजना की नहरों के निर्माण में आने वाली ग्राम-अहमदा, अहमदी व बजरंगढ, तहसील किशनगंज की 5.23 हे० वन भूमि के एवज में गैर वन भूमि आवंटित किये जाने हेतु मांग करने पर तहसीलदार, छीपाबडोद द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 17.07.2017 अनुसार सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत निम्नलिखित भूमि वन विभाग को वानिकी भूमि की एवज में सेट-अपार्ट की जाती है तथा उक्त प्रकरण में पूर्व के इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-एफ-4(5)(26)राजस्व/18/3291-99 दिनांक 15.05.2018 को निरस्त किया जाता है।

क्र. सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	कुल रकबा (बीघा बिस्वा में)	सेट-अपार्ट रकबा (बीघा बिस्वा में)	किस्म
1	छीपाबडोद	पीपल्या चौकी	56	7.00 बीघा 13 बिस्वा	7.00 बीघा 13 बिस्वा	मगरी
			61	1.00 बीघा 06 बिस्वा	1.00 बीघा 06 बिस्वा	मगरी
			62	13.00 बीघा 7 बिस्वा	12.00 बीघा 01 बिस्वा	मगरी
			120	06 बिस्वा	06 बिस्वा	मगरी
			121	11.00 बीघा 06 बिस्वा	11.00 बीघा 06 बिस्वा	मगरी
			कुल किता 5	कुल 33.00 बीघा 18 बिस्वा	कुल 32.00 बीघा 12 बिस्वा	

नियमानुसार रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

Sd
(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर
बारां

दिनांक 28/8/2019

क्रमांक : एफ-4(5)(26)राजस्व/18/ 4972-80
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

- उप वन संरक्षक, बारां।
- प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग, कलैक्ट्रेट, बारां।
- अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, बारां
- अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां
- उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद, किशनगंज।
- तहसीलदार, छीपाबडोद, को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का अमल-दरामद करें एवं संबंधित विभाग को दखल दिया जाकर दखलनामे की एक प्रति इस कार्यालय को भिजवावे।
- तहसीलदार, किशनगंज को नियमानुसार कार्यवाही हेतु।
- रक्षित पत्रावली

Sd
जिला कलक्टर
बारां

पता : मिनी सचिवालय, बारां (325205)
Ph. No. : (07453) 237001, 237003 (Fax) 237005

E-mail ID : dm-brn-rj@nic.in
admbaran@gmail.com